



भा. कृ. अनु. प. -केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
ICAR - Central Arid Zone Research Institute
जोधपुर (राजस्थान) 342 003 / Jodhpur (Rajasthan) 342 003



फा.क. संशिप्रस/ चुनाव/ 2019/ 1

दिनांक : 25.07.2019

परिपत्र

कार्यालय आदेश संख्या फा.क. 5-20/2012-2019 (जीसी)-प्रशासन-प्रथम् दिनांक 12.07.2019 की अनुपालनानुसार संस्थान की शिकायत प्रकोष्ठ समिति के लिए विभिन्न श्रेणियों (वैज्ञानिक-1, प्रशासनिक-1, तकनीकी-1, सहायक-1) 04 प्रतिनिधियों के चुनाव का कार्यक्रम निम्नानुसार प्रस्तावित है :

क.सं.	चुनाव कार्यक्रम	तिथि
1	नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अवधि व अंतिम तिथि	27.07.2019 से 08.08.2019 तक (अपरान्ह 3 बजे तक)
2	नामांकन पत्रों की जांच व वैधता की घोषणा	09.08.2019
3	नाम वापस लेने की अंतिम तिथि	13.08.2019
4	मान्य प्रत्याशियों की सूची का प्रकाशन व चुनाव चिन्ह आवंटन	20.08.2019
5	मतदान की तिथि एवं समय	28.08.2019 (प्रातः 10 से सांय 05 बजे तक)
6	मतगणना व परिणाम घोषणा	05.09.2019 (प्रातः 11 बजे से)

नामांकन पत्र का प्रारूप तथा मतदाताओं के लिये परामर्श संलग्न हैं। संस्थान के केवल वे ही नियमित कर्मचारी मतदान में भाग ले सकेंगे, जिनकी सूची कार्यालय द्वारा उपरोक्त आदेश के साथ उपलब्ध करवायी गई है। इस सूची की प्रति विभागाध्यक्षों को उपलब्ध करवाई जायेगी। कर्मचारी जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम एवं परिषद/संस्थान में 6 माह से कम का सेवाकाल हो, वह चुनाव में भागीदार/मतदान नहीं कर सकेंगे। सूची का अवलोकन क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों व प्रक्षेत्रों के प्रभारी के कार्यालय में भी अपरान्ह 3-4 बजे के दौरान किया जा सकता है। इच्छुक प्रत्याशी नामांकन पत्र प्रारूप (फोटोप्रति स्वीकार्य) के अनुसार नामांकन पत्र, सहायक निर्वाचन अधिकारी, डॉ. एस. के. सिंह, विभाग तृतीय में जमा कराएँ। क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों व प्रक्षेत्रों के प्रत्याशी नामांकन पत्र व्यक्तिगत या डाक अथवा फेक्स (0291-2788706) द्वारा प्रेषित कर सकते हैं। अंतिम तिथि तथा समय के पश्चात् प्राप्त नामांकन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

अवकाश पर गये या जाने वाले मतदाता डाक मतपत्र के लिये 22 अगस्त से 26 अगस्त, 2019 के बीच सहायक निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। इन मतदाताओं के डाक मतपत्र मतदान की तिथि तक सहायक निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में पहुँच जाने चाहिये। 28 अगस्त, 2019 को मतदान कार्य मुख्यालय, पाली, बीकानेर व जैसलमेर क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों तथा भोपालगढ़ क्षेत्र में निर्वाचन अधिकारी द्वारा गठित मतदान दलों द्वारा निष्पादित करवाये जायेंगे, जो मतपत्रों को मतदान पेटियों में सहायक निर्वाचन अधिकारी को सौंपेंगे। मतदान दलों से सम्बद्ध मतदाता अपना मत बंद लिफाफे में खानगी से पूर्व सहायक निर्वाचन अधिकारी को सुपुर्द कर सकेंगे। भुज क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र के मतदाताओं के मत सील किये लिफाफे में अधिकृत अधिकारी द्वारा सहायक निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में पहुँचाये जायेंगे। लेह क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र के मतदाता डाक द्वारा अपना मत प्रेषित करेंगे।

मतगणना के समय (प्रातः 11 बजे से) स्वयं प्रत्याशी अथवा उसका कोई एक अधिकृत प्रतिनिधि मतगणना स्थल (संस्थान का सभागार) पर उपस्थित रहने का अधिकारी होगा।

वितरण : कृपया पीछे पलटें

निर्वाचन अधिकारी

(दिनेश मिश्रा)
25/7/19

1. अध्यक्ष, विभाग— I / II / III / IV / V / VI, एवं इनके अधीनस्थ आने वाले अनुभाग, काजरी, जोधपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, पुस्तकालय / कार्यशाला / रखरखाव अनुभाग / सुरक्षा अनुभाग/अतिथि गृह/ हॉस्टल / फार्म अनुभाग / सीडी युनिट / पी.एम.ई. / ए.के.एम.यू. / केवीके, जोधपुर / पाली / ए.आई.वी.पी.एम., काजरी, जोधपुर ।
3. अध्यक्ष, काजरी प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्र – पाली / बीकानेर / जैसलमेर / भुज / लेह ।
4. सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन I / II / III / IV / V, एवं सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी, लेखा अनुभाग I / II / III, काजरी, जोधपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी, काजरी, जोधपुर को सूचनार्थ।

GRIEVENCE CELL COMMITTEE ELECTION 2019

मतदाताओं के लिये परामर्श

- सुगम मतदान के लिये यदि हो सके तो संस्थान द्वारा प्रदत्त फोटो युक्त परिचय पत्र साथ लायें, जिसमें कर्मचारी संख्या, पदस्थापन आदि की जानकारी होती है।
- कर्मचारी जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम एवं परिषद/संस्थान में 6 माह से कम का सेवाकाल हो, वह चुनाव में भागीदार/मतदान नहीं कर सकेंगे।
- मतदाता सूची की प्रति प्रत्येक विभाग कार्यालय में उपलब्ध करवाई जायेगी। मतदान पूर्व अपनी मतदाता या ERP संख्या अवश्य ज्ञात कर लें। प्रशासनिक कार्यालय द्वारा जारी मतदाता सूची में वर्णित नामों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति काजरी शिकायत प्रकोष्ठ समिति के लिये मतदान नहीं कर सकेंगे।
- मतदाता द्वारा वैज्ञानिक-1, प्रशासनिक-1, तकनीकी-1, सहायक-1 प्रत्याशियों के लिये किये गये निशान (मतदान) ही मान्य होंगे। सीमा से अधिक निशान वाले मतपत्र रद्द समझे जायेंगे।
- मतदान पर सील अथवा सही (✓) का निशान प्रत्याशी के नाम के आगे वाले खाली (अंतिम) कॉलम के दायरे में ही लगा होना चाहिये। अन्य किसी भी स्थान पर लगायी गयी सील अथवा निशान मान्य नहीं होंगे। ऐसे मतपत्र रद्द समझे जायेंगे।

वैज्ञानिक, प्रशासनिक व तकनीकी वर्ग मतपत्र

क.सं.	प्रत्याशी का नाम →	सील अथवा सही (✓) का निशान लगाने का स्थान
-------	-----------------------	---

सहायक वर्ग मतपत्र

क.सं.	प्रत्याशी	चुनाव चिन्ह →	सील अथवा सही (✓) का निशान लगाने का स्थान
-------	-----------	------------------	---

- निर्धारित स्थान पर सील या सही के निशान के अतिरिक्त मतपत्र पर किसी भी जगह कोई भी अन्य निशान अथवा हस्ताक्षर आदि मान्य नहीं होगा। ऐसे मतपत्र रद्द समझे जायेंगे।
- डाक मतपत्र बंद लिफाफे में ही स्वीकार किये जायेंगे।
- शिकायत प्रकोष्ठ समिति आपकी अपनी प्रतिनिधि सभा है। इसके गठन के लिये किये जा रहे चुनाव में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है।


(दिनेश मिश्रा) 25/3/19
निर्वाचन अधिकारी

ICAR-CENTRAL ARID ZONE RESEARCH INSTITUTE, JODHPUR
FORM – ‘A’
NOMINATION FORM FOR GRIEVANCE COMMITTEE ELECTION – 2019

1. I nominate the following employee of the institute (ICAR-CAZRI) as a candidate for election to the Grievance Committee.
2. He is eligible as a voter in the category for which he is nominated.
3. He is also eligible for election to the Grievance Committee as a representative of employees of the concerned category.

Name of the person nominated Dr./Shri/Smt./Km. _____
Designation _____
Section/Department _____
Category to which he belongs Scientific / Technical / Administrative /
Supporting
Date _____
Signature of proposer _____

Dr./Shri/Smt./Km. _____
Designation _____
Section/Department _____
Category to which he belongs
Scientific / Technical / Administrative /
Supporting

I agree to the proposed nomination.

Date _____ Signature of the candidate _____

Attested by _____

(1) Signature of a voter belonging to the electoral category

Dr./Shri/Smt./Km. _____
Designation _____
Section/Department _____
Category to which he belongs
Scientific / Technical / Administrative /
Supporting

P.T.O.

Attested by _____

(2) Signature of a voter belonging to the electoral category

Dr./Shri/Smt./Km. _____

Designation _____

Section/Department _____

Category to which he belongs

Scientific / Technical / Administrative /
Supporting

Note :

1. Please strike off the words/portions not applicable.
2. The proposer must be a voter belonging to the concerned electoral category.
3. Attestation is to be made by two voters belonging to the concerned electoral category.
4. The same person shall not be the proposer as well as attester.

भा. कृ. अनु. प. —केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
ICAR - Central Arid Zone Research Institute
जोधपुर (राजस्थान) 342 003 / Jodhpur (Rajasthan) 342 003

प्रपत्र — अ

शिकायत प्रकोष्ठ समिति चुनाव — 2019 के लिए नामांकन

1. मैं संस्थान (ICAR-CAZRI) के निम्नलिखित कर्मचारी को शिकायत समिति के चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में नामित करता हूँ।
2. वह उस श्रेणी के मतदाता के रूप में पात्र है जिसके लिए उसे नामित किया गया है।
3. वह संबंधित श्रेणी के कर्मचारियों के प्रतिनिधि के रूप में शिकायत समिति के चुनाव के लिए भी योग्य है।

नामांकित व्यक्ति का नाम डॉ/श्री/श्रीमती/कुमारी _____

पद _____

अनुभाग / विभाग _____

वह किस श्रेणी का है वैज्ञानिक, प्रशासनिक, तकनीकी, सहायक

दिनांक _____

प्रस्तावक के हस्ताक्षर _____

डॉ/श्री/श्रीमती/कुमारी _____

पद _____

अनुभाग / विभाग _____

वह किस श्रेणी का है

वैज्ञानिक / प्रशासनिक / तकनीकी / सहायक

मैं प्रस्तावित नामांकन के लिए सहमत हूँ।

दिनांक _____

उम्मीदवार के हस्ताक्षर _____

द्वारा सत्यापित किया गया _____

(1) निर्वाचक वर्ग से संबंधित मतदाता के हस्ताक्षर

डॉ/श्री/श्रीमती/कुमारी _____

पद _____

अनुभाग / विभाग _____

वह किस श्रेणी का है

वैज्ञानिक / प्रशासनिक / तकनीकी / सहायक

Ni;k ihN: iyV:

द्वारा सत्यापित किया गया _____

(2) निर्वाचक वर्ग से संबंधित मतदाता के हस्ताक्षर

डॉ/श्री/श्रीमती/कुमारी _____

पद _____

अनुभाग / विभाग _____

वह किस श्रेणी का है

वैज्ञानिक / प्रशासनिक / तकनीकी / सहायक

नोट :

1. जो शब्द /भाग लागू न हो, कृपया वह काट दें।
2. प्रस्तावक को संबंधित निर्वाचक श्रेणी से संबद्ध मतदाता होना चाहिए।
3. संबंधित निर्वाचक श्रेणी से संबद्ध दो मतदाताओं द्वारा ही सत्यापन किया जाये।
4. जो व्यक्ति प्रस्तावक है वह साक्षी नहीं होगा।